पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 14/2024

अनवान :

मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. रविन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 27/159 के खसरा सं0 110 की 1.5180है0, ख0सं0 31 की 3.3020 है0, ख0सं0 562/2 की 2.3910है0 की कुल 7.2110है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी मनोज कुमार, प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 2 रविन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.2.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner